कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 2343 /7सी0 दिनांक 26 सितम्बर 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से सुनियाकोट कोटुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.628 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 53059/2020)।**

संदर्भः **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08 बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0/538 दिनॉक 20.07.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	1) In reply to point 2 of this office EDS, though the revised enumeration of 23 trees has been found submitted as an additional document in online Part I but the details are not found corrected at para 4 in online Part II. The State Government is requested to correct the enumeration in online Para-4, Part II.	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से संबंधित नहीं है।
2	It is seen that village 'Suniyakot' and 'Kotuli' could individually be connected directly with the starting point. Hence it is not clarified as to why the road is proposed from village 'Kotuli to 'Suniyakot. State Government is requested to submit the detailed comments in this regard.	आपत्ति पत्र के बिन्दु सं0 2 के क्रम में अवगत कराना है कि सुनियाकोट एवं कोटली के ग्रामवासियों को मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यह स्वीकृति जारी की गयी है। जिसके अनुपालन में न्यूनतम वन भूमि एवं न्यूनतम वृक्षों के पातन को देखते हुये स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टिकोण के अनुरूप यह संरेखण निर्धारित किया गया है जिसमें 2.628 है0 वन भूमि में चीड़ प्रजाति के 19 वृक्ष एवं नाप भूमि में 4 वृक्ष इस प्रकार कुल 23 वृक्षों के पातन की आवश्यकता होगी। ग्राम सुनियाकोट एवं कोटली को पृथक पृथक मोटर मार्ग से संयोजित करने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगेगा जिससे ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों में आक्रोश उत्पन्न होगा।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण को स्वीकृत करने हेतु अपने स्तर प्रबल संस्तुति सहित प्रकरण को अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

पत्रांक 2343 /7सी0 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।